

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector *Chamoli*

No---

Dated-----

04-10-2017

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that *3.27* hectares of forest land proposed to be diverted in favour of *P.W.D. Pokhari* (name of user agency) for *Pokhari* (purpose for diversion of forest land) in *Chamoli* district falls within jurisdiction of *Pokhari-Nakhaliyana* village (s) in *Pokhari* tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire *3.27* hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure *I* to ...annexure *II*.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

Signature
जिलाधिकारी
चमोली

FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-----

Dated----- 04-10-2017

No---

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights^{of} under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.27 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Pokhari (name of user agency) for chofaya-Pokhari (purpose for diversion of forest land) in..... district falls within jurisdiction of Pokhari-Nakhola village (s) in Pokhari tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to II annexure....
- the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure I.. to annexure II..
- the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

तहसीलदार
तहसील पाखरी
जिला चमोली

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकासखण्ड पोखरी में चोपड़ा-हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा-नखोलियाणा-पोखरी मोटर मार्ग हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 कि अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-पोखरी,चमेठी
तहसील-पोखरी जिला-चमोली।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकासखण्ड पोखरी में चोपड़ा-हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा-नखोलियाणा-पोखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (शून्य- हे० आरक्षित वनभूमि 2.38 हे० सिविल सोयम भूमि 0.63 हे० वन पंचायत भूमि कुल 3.01 हे०) अर्थात् कुल 3.01 हे० भूमि का लो०नि०वि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनभूमि मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पोखरी, खड़की द्वारा दिनांक 26-12-17को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पोखरी चमेठी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित


अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत
पोखरी

ह०/- आशा देवी

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

आशा देवी
सदरया वाडं नं. 2 नोअर
नगर पंचायत पोखरी

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकासखण्ड पोखरी में चोपड़ा-हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा-नखोलियाणा-पोखरी मोटर मार्ग हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक.....26-12-17 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चमेठी,पोखरी

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम।	हस्ताक्षर
1	वशीलाल	
	चन्द्र कटा	चन्द्र
	महेश	महेश
	ANKIT CHAUDHARI	Ankit Singh
	Mehandru Singh	Mehandru Singh
	मरत सिंह	मरत सिंह
	राजेश कटा	राजेश कटा
	कृष्ण	कृष्ण
	मोहन लाल	मोहन लाल
	विजय	विजय
	दुकात सिंह	दुकात सिंह
	नवीन	नवीन कुमार
	जगदम्बा	जगदम्बा
	जयपाल	जयपाल
	हरसिंह	हरसिंह
	सुनील	सुनील
	गिरधारी	गिरधारी
	कुंभार	कुंभार
	राजेशिंह	राजेशिंह
	प्रमोद	प्रमोद
	तेजस	तेजस
	प्रमोद	प्रमोद
	जयपाल	जयपाल
	रमेश लाल नखोलिया	रमेश लाल
	सोनी नखोलिया	सोनी
	सुनील कुमार	सुनील
	हरि	हरि
	विजय सिंह	विजय
	मंजु देवी	मंजु देवी

ह0/- आशादेवी

ग्राम प्रधान

आशा देवी
सदस्या वार्ड नं.2 चमेठी
ग्राम पंचायत पोखरी

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम।	हस्ताक्षर
	गीता देवी	गीता देवी
	सगीता देवी	सगीता देवी
	वल्लभ रंजना	Balraj
	कमला देवी	कमला देवी
	Meeraj Kumar	Meeraj Kumar
	मोहन	मोहन
	गोपाल बालोमिया	गोपाल
	सुबोध सुलाह	Subodh
	शरदराज	शरदराज
	TARUN	TARUN
	विकास	विकास
	Mahesh	Mahesh
	सुनीता देवी	सुनीता देवी
	कालिका प्रसाद	कालिका
	पविता देवी	पविता
	राजप नखोलिया	Rajp Singh
	भगत राम	भगत
	रमेश सिंह	Ramesh
	नागेश कोठियाल	Nagesh
	पवन	Pawan
	देवेश सिंह	Devesh
	दीपक सिंह	Deepak
	मुकेश सिंह	Mukesh
	देवेन्द्र सिंह	Devendra
	हमरा सिंह	Hamra
	रामचन्द्र	Ramchandra
	मीनाक्षी देवी	Meenakshi
	जरी देवी	Jari
	नील देवी	Neel
	सुवरी देवी	Suvari
	सुमेन देवी	Sumeen
	सतेश्वरी देवी	Sateshwari
	रघुना	Raghunath
	अमिता	Amisha
	अनिता	Anita
	सरज कुमार	Saraj Kumar
	पंकज कुमार	Pankaj Kumar
	रितेश	Ritesh

आशा देवी
 आशा देवी
 सदस्या वाड नं. 2 नोअर
 नगर पंचायत पोखरी

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम।	हस्ताक्षर
	आशा देवी	Asish
	चन्द्र प्रकाश	Chandra
	रमेश	Ramesh
	भूपाल	Bhupal
	(केशव) लाल	Keshav Lal
	सत्य प्रसाद	Satya
	विनोद प्रसाद	Vinod
	आदित्य राम	311 दिवा
	सुखदा पंत	सुखदा
	श्याम लाल पंत	श्याम
	अनुराधा सुब्बाद	अनुराधा
	फारुख राम	फारुख राम
	Dinesh Prasad	Dinesh
	लाल गोविन्द	Lal Govind
	सुम सिंह	सुम सिंह
	हर-द सिंह	HS
	विलेश सिंह	Vishesh
	नरेश प्रसाद	Narash
	रघवीर सिंह	Raghvir
	विश्वपाल	Subshpal
	विजय देवी	Vijaya Devi
	गणेश देवी	Ganesh Devi
	भद्रा देवी	Bhadra
	विशोदा देवी	Vishoda
	गणेश सिंह	Ganesh Singh
	लाल सिंह	Lal Singh
	कुल सिंह	Kul Singh
	शिवलाल	SHIV LAL
	सुष्मिता देवी	Sushmita
	श्री Ashish	Shree Ashish
	श्री कलाल	Shree Kalal
	गोविन्द राम	Govind Ram
	दिगपाल	Digpal
	विवेक सिंह	Vivek

आशा देवी
 सदस्या वार्ड नं. 2 लोअर
 नगर पंचायत, नरी

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकासखण्ड पोखरी में चोपड़ा-हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा-नखोलियाणा-पोखरी मोटर मार्ग हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 कि अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-पोखरी,खड़की
तहसील-पोखरी जिला-चमोली।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकासखण्ड पोखरी में चोपड़ा-हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा-नखोलियाणा-पोखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (शून्य- हे० आरक्षित वनभूमि 2.38 हे० सिविल सोयम भूमि 0.63 हे० वन पंचायत भूमि कुल 3.01 हे०) अर्थात् कुल 3.01 हे० भूमि का लो०नि०वि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनभूमि मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पोखरी, खड़की द्वारा दिनांक 26-12-17 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पोखरी, खड़की के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित


अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत
पोखरी


मंगल सिंह नेगी
सदस्य
नगर पंचायत पोखरी

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकासखण्ड पोखरी में चोपड़ा-हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा-नखोलियाणा-पोखरी मोटर मार्ग हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक.....26-12-17.....को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खड़की,पोखरी

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम।	हस्ताक्षर
1	लक्ष्मी प्रसाद पुन्ना	
(2)	शिवशंकर चौधरी	
(3)	कुलदीप शर्मा	
4-	विनोद शर्मा	
5	गणेश शर्मा	
6	सुरेश शर्मा	
(7)	पुनर्जीव चौधरी	
8	वीरेंद्र "	
(9)	महावीर "	
(10)	मधु "	
(11)	श्रीराम शर्मा	
(12)	कल्याण शर्मा	
	राजेश शर्मा	
	शिवशंकर चौधरी	
	मनोहर शर्मा चौधरी	
	पुनर्जीव चौधरी	
	मदन शर्मा चौधरी	
	उमेश शर्मा चौधरी	

ह0/-

ग्राम प्रधान